



कानपुर नगर निगम
निविदा सूचना

निविदा संख्या-74 / मु0अभि0 / 2025-26

नगर निगम कानपुर के समस्त वर्ष 2025-26 में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत तथा उ0प्र0 सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2025-26 हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों हेतु निम्नानुसार निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं :-

अवस्थापना निधि

1. ई-निविदा पद्धति से आमन्त्रित कार्यों की निविदायें संख्या-12 दिनांक-02.04.2026

उपरोक्तानुसार आमन्त्रित निविदाओं के कार्यों का पृथक-पृथक विवरण एवं निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें कानपुर नगर निगम की बेवसाइट kmc.up.nic.in पर एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय के नोटिस बोर्ड व सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम कानपुर

नगर निगम के समस्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अंतर्गत तथा 2020 सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2024-25 हेतु पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों हेतु जो नगर निगम निविदाओं में भाग लेने के लिए पंजीकरण सीमा के अंतर्गत तथा 2020 सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2024-25 हेतु पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचना दी जाती है। निविदा प्रपत्र मुख्य अभियंता कार्यालय एवं समस्त अधिशाही अभियंता के कार्यालय से निविदा के एक दिन पूर्व तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र मुख्य अभियंता कार्यालय एवं समस्त अधिशाही अभियंता के कार्यालय से निविदा के एक दिन पूर्व तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्रेणी	अधिकृत निविदा धनराशि	जमानती धनराशि	भूगतियत प्रमाण पत्र	पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क
सुपर "ए" (एच0एम0पी0)	हाटकिरा प्लान्ट से किये जाने वाले समस्त कार्य	150000/-	60 लाख	50000/20000000
सुपर "ए"	रूपये 50 लाख से अधिक	750000/-	30 लाख	25000/15000000
"बी"	रूपये 20 लाख से अधिक 50 लाख तक	400000/-	20 लाख	15000/10000000
"सी"	रूपये 5 लाख से अधिक 20 लाख तक	250000/-	10 लाख	10000/5000000
"डी"	रूपये 2 लाख से अधिक 5 लाख तक	200000/-	02 लाख	8000/3000000

निविदा के सम्मुख अंकित जमानती धनराशि एवं निविदा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से ही किया जायेगा। निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर 7 दिन के अन्दर आवश्यक रेटांग पेपर जमा करने पर नगर निगम को निर्धारित प्रपत्रों पर कार्य पूरा कराने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। नगर आयुक्त कानपुर को बिना कारण बताये किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा अन्य ठेकेदारों के साथ कार्य प्रारम्भ करने का अधिकार सुरक्षित है। समस्त निविदाओं मुख्य अभियंता कार्यालय में रखे निविदा बाकस में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त की जायेगी। कार्यों की निविदा नोटिस कानपुर नगर निगम की वेब साइट <http://kmc.up.nic.in> से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त निविदाओं की सूचना नगर निगम के वेबसाइट www://ctender.up.nic.in के माध्यम से आमंत्रित की जायेगी।

निविदादाता निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा खोलने अथवा खोले जाने की तिथि में यदि अकारण होना तो निविदाओं अगले कार्य दिवस में निर्धारित समयानुसार डाली/खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित अधिशाही अभियंता के कार्यालय में देखी जा सकती हैं। निविदा विवरण निम्न प्रारूप में उल्लिखित जोन वार कार्यों का अलग-अलग विवरण उनकी आगणन लागत निविदा की अर्न्तगामी निविदा मूल्य तथा समय अथवा आदि का विवरण मुख्य अभियंता कार्यालय सम्बन्धित जोन कार्यालय एवं पी0आर0ओ0 कार्यालय में उपलब्ध कार्य विवरण सूची सूचना पट पर देखा जा सकता है। विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग निविदा आमंत्रित है।

- शर्तें :-
- जो निविदा दाता निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित अर्न्तगामी नहीं लगायेगा उस दशा में उसका पंजीकरण/नवीनीकरण निरस्त करते हुये लगाई गई अर्न्तगामी जवाब कर ली जायेगी।
 - निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य के रूप में नगद धनराशि लगाने वाले ठेकेदारों की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - निविदा प्रपत्र में प्रतिशत उच्च/निम्न को अंको एवं शब्दों में लिखना आवश्यक है।
 - ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक निम्न निविदा प्रदत्त करने पर शासनादेश के अनुसार 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा प्रदत्त करने पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत निम्न दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफोमेन्स गारंटी के रूप में जमा करनी आवश्यक होगी।
 - निविदा शर्तों के विरुद्ध निविदा खोलने वाले ठेकेदार की जमानती धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
 - एकल कर प्रणाली के अन्तर्गत कार्य के देयकों पर शासन द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0 की दरों के अनुसार भुगतान व कटौती की जायेगी। कार्य के आगणन में जी0एस0टी0 सम्मिलित है एवं निविदा की दर मूल आगणन पर प्रभावी होगी। निविदा मूल्य पर 18प्रतिशत जी0एस0टी0 देय होगी।
 - सड़क निर्माण/सुदृढीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-715/नो-5-2018-120बजट/2013 दिनांक 17 मार्च 2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - निविदा में किसी प्रकार के संशोधन (यथा निविदा तिथि में वृद्धि निविदा संशोधन कार्यों की संख्या/आगणन में परिवर्तन अथवा सुधार आदि) की सूचना कानपुर नगर निगम की वेबसाइट kmc.up.nic.in पर व मुख्य अभियंता एवं अधिशाही अभियंता कार्यालयों के सूचना पट पर पढ़ी व देखी जा सकती है। इस हेतु निविदा शुद्धि पत्र का प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं किया जायेगा।
 - उच्च श्रेणी का ठेकेदार अपने से निम्न समस्त श्रेणियों की निविदाओं में प्रतिभाग कर सकता है।
 - निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें कानपुर नगर निगम की वेबसाइट kmc.up.nic.in पर पढ़ी जा सकती हैं।
 - आगणन घनांक २0-40.00 लाख से अधिक कार्यों में टी-2 प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है। घनांक २0-40.00 लाख एवं इससे अधिक की धनराशि के समस्त कार्यों की निविदाओं में दू-विड निविदा पद्धति से आमंत्रित की जायेगी।
 - किसी भी कार्य में ज्वाइंट वेंचर ठेकेदार द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा सकेगा और ज्वाइंट वेंचर का अनुभव भी मान्य नहीं होगा।
 - किसी भी कार्य में एम0एस0एम0ई0 के द्वारा निर्गत पंजीकरण के आधार पर किसी प्रकार की छूट अनुमत्य नहीं होगी।
 - मा0 सदन में पारित प्रस्ताव के क्रम में नगर आयुक्त महोदय के आदेश पत्रांक-1057/2025-26/क दिनांक-13.06.2025 के अनुपालन में "निविदादाताओं के अवशेष कार्यों का प्रमाण पत्र/सूची संलग्न करने के साथ-साथ जिन निविदादाताओं के पांच से अधिक कार्य (अनुबन्ध के अनुसार दी गयी समयसीमा के उपरान्त) लिखित होने पर उनकी निविदा पर विचार न किया जाय एवं उनको अग्रिम आमंत्रित होने वाले निविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु अयोग्य माना जाय। इसका शपथ पत्र प्रतिभागी ठेकेदार द्वारा निविदा में प्रतिभाग करते समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

मा0 कार्यकारिणी समिति में पारित प्रस्ताव सं0-93 के अनुक्रम में नगर आयुक्त महोदय के आदेश पत्रांक-डी/514/न0आ0/मु0अभि0/24-25 दिनांक-18.11.2024 के अनुपालन में 15प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर प्राप्त निविदाओं स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

निविदा खरीदने व अपलोड करने की अंतिम तिथि					दिनांक 02.04.2026 अपराह्न 03.00 बजे तक			
निविदा खोलने की तिथि					दिनांक 02.04.2026 अपराह्न 04.00 बजे			
क्रमांक	कार्य का नाम	आगणन घनांक	जमानती धनराशि	निविदा मूल्य	निविदा मूल्य पर देय 18% जी0एस0टी0	कार्य समाप्त करने की अवधि	मद का नाम	सक्षम स्तर से स्वीकृति तिथि
ई-टण्डर								
1	मॉडल टाउन (काकादेव) स्थित पार्क में "मेडीटेशन थीम-पार्क" का निर्माण कार्य।	15000000.00	950000	3500	630	180 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
2	झांसी रानी पार्क में "संसारी व हाईजीन थीम-पार्क" का निर्माण कार्य।	12000000.00	800000	3200	576	180 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
3	फूलबाग स्थित नौकाविहार में गों-कार्टिंग ट्रैक एवं आय सृजन गतिविधियों का निर्माण।	59000000.00	3150000	7900	1422	180 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
4	वार्ड-22 स्थित कमला पार्क में थीम पार्क हेतु अवशेष कार्य कराने का कार्य।	30000000.00	1700000	5000	900	180 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
5	वार्ड-41 त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पीछे ट्रेफिक पार्क का निर्माण कार्य।	12000000.00	800000	3200	576	180 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
6	परड रामलीला ग्राउण्ड के चारों तरफ प्रवेश द्वारा निर्माण कार्य।	7500000.00	575000	2750	495	120 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
7	शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों यथा बाजारों, मंदिरों, पार्कों में बैठने की सुविधा हेतु स्टील बेंच एवं शेड का कार्य।	10000000.00	700000	3000	540	120 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
8	जलकल कार्यालय के सुदृढीकरण का कार्य।	20000000.00	1200000	4000	720	180 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
9	नगर निगम कानपुर में हाईटेक कान्फ्रेंस रूम हेतु।	7000000.00	550000	2700	486	120 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
10	सिद्धनाथ घाट स्थित श्मशान घाट पर अतिरिक्त शेड का निर्माण कार्य।	5000000.00	450000	2500	450	90 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
11	जोन-2 वार्ड-11 के अन्तर्गत शोखपुर गांव में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	3500000.00	350000	2350	423	90 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026
12	जोन-8 वार्ड-33 के अन्तर्गत जे0-2 ब्लाक के सामने घोबीघाट के सुदृढीकरण का कार्य।	6500000.00	525000	2650	477	120 दिन	अवस्थापना निधि	27.02.2026

मुख्य अभियंता
नगर निगम, कानपुर

- प्रतिलिपि-
- नगर आयुक्त महोदय को सूचनाार्थ।
 - सम्बन्धित अधिशाही अभियंताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - नोटिस बोर्ड में चर्या करने हेतु।
 - रिकार्ड हेतु।

मुख्य अभियंता
नगर निगम, कानपुर